(43)

(2)

श्री गिरीश शर्मा, उपप्रबंधक (निलंबित), जिला कार्यालय–रायपुर के विरुद्ध अधिरोपित आरोप पत्र

श्री गिरीश शर्मा, उपप्रबंधक (निलंबित), जिला कार्यालय–रायपुर के मुख्यालय–रायपुर में पदस्थी के दौरान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 12.02.2015 को कार्यालयीन कक्ष एवं निवास स्थान पर छापा मारा गया तथा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसके कारण अधिरोपित आरोप निम्नानुसार है:–

आरोप कमांक 01 –

श्री गिरीश शर्मा, उपप्रबंधक (निलंबित), जिला कार्यालय–रायपुर के मुख्यालय–रायपुर में पदस्थी के दौरान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 12 02.2015 को आपके कार्यालयीन कक्ष में छापा मारा गया। छापे के दौरान कार्यालयीन कक्ष से नगद राशि बरामद किया गया। जिससे शासन एवं निगम की छबि धूमिल हुई।

आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के कंडिका "3" का उल्लंघन है।

प्रबंध संचालक

Exp-D-13 (A)
(3 Pages)

सूचना के अधिकारी के तहत प्रदत्त

प्रबंधक (प्रशासन)

(42) (3)

श्री गिरीश शर्मा, उपप्रबंधक (निलंबित), जिला कार्यालय–रायपुर के विरूद्ध अधिरोपित आरोप का विवरण पत्र

श्री गिरीश शर्मा, उपप्रबंधक (निलंबित), जिला कार्यालय–रायपुर के मुख्यालय–रायपुर में पदस्थी के दौरान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 12.02.2015 को कार्यालयीन कक्ष एवं निवास स्थान पर छापा मारा गया तथा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसके कारण अधिरोपित आरोप का विवरण निम्नानुसार है:–

आरोप का विवरण कमांक 01 –

श्री गिरीश शर्मा, उपप्रबंधक (निलंबित), जिला कार्यालय–रायपुर के मुख्यालय–रायपुर में पदस्थी के दौरान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 12.02.2015 को आपके कार्यालयीन कक्ष में छापा मारा गया। छापे के दौरान आपके कक्ष से 20,00,000/– जब्त कर अपराध कमांक 09/2015 धारा 109, 120–बी, भा.दं.वि. एवं 13 (1) डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिससे शासन एवं निगम की छबि धुमिल हुई।

आंपका उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के कंडिका "3" का उल्लंघन है एवं छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधान के अंतर्गत दण्डनीय है।

प्रबंध संचालक

[illegible]

सूचना के अधिकार के [illegible]

Scanned with CamScanner

(97) (4)

श्री गिरीश शर्मा, उपप्रबंधक (निलंबित), जिला कार्यालय–रायपुर के विरूद्ध अधिरोपित आरोप से संबंधित दस्तावेजों की सूची

1. एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर से प्राप्त जानकारी की प्रमाणित प्रति।
2. श्री एस.डी. देवस्थले, निरीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ का पत्र क./पु. अ./ई.ओ.डब्ल्यू/590/2015 रायपुर, दिनांक 18.02.15 की प्रति।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, छ.ग. रायपुर का पत्र क. 176 दिनांक 16.02.2015

प्रबंध संचालक

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त

प्रबंधक (प्रशासन)

Scanned with CamScanner